झारखण्ड सरकार

भारत के संविधान के
अनुच्छेद 176 (I) के अन्तर्गत
झारखण्ड विधान सभा के एकादश अधिवेशन में
झारखण्ड के

महामहिम राज्यपाल

श्री वेद प्रकाश मारवाह

का

अभिभाषण

राँची

21 फरवरी, 2004

झारखण्ड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

विधानसभा के एकादश सत्र में आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ और आपके माध्यम से झारखण्ड की जनता को अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ ।

2. जनता की जिन आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए झारखण्ड राज्य का सृजन किया गया, उसकी प्राप्ति के लिए हमारी सरकार निरन्तर गम्भीर प्रयास कर रही है। विकास की दृष्टि से तीन वर्षों की अवधि अधिक नहीं होती है, किन्तु विगत तीन वर्षों में ही सभी क्षेत्रों में विकास के जिन आयामों को प्राप्त किया गया है और उसे और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है, वह सराहनीय है। विकास के प्रति हमारी सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता का ही यह प्रतिफल है कि प्रतिवर्ष राज्य के प्रतिव्यक्ति आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। आप जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2000-01 में झारखण्ड राज्य का प्रतिव्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Per Capita GSDP) 10,546.00 रुपये था जो वित्तीय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में क्रमशः 11,339.00 एवं 12,017.00 रुपये हो गये हैं, जबकि बिहार राज्य का वित्तीय वर्ष 2002-03 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मात्र 7074.00 रुपये ही

है। झारखण्ड राज्य का विकास दर 5.61 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय विकास दर 6.9 प्रतिशत से कुछ ही कम है, किन्तु हमारी सरकार इस प्रकार कार्य कर रही है जिससे 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम लक्षित राष्ट्रीय विकास दर को प्राप्त करने में सफल होंगे। हमारी सरकार द्वारा राज्य में कार्यान्वित की जानेवाली योजनाओं के सम्बन्ध म न केवल घोषणाएँ ही की जाती रही हैं बल्कि विगत वर्षों में की गयी घोषणाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का भी प्रयास किया गया है । वस्तुतः सभी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को समयबद्ध एवं चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित करने के उद्देश्य से न केवल लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं बल्कि तदनुसार कार्य भी प्रारम्भ हो चुके हैं और सफलताएँ मिलने लगी हैं। विकास के चिन्ह सम्पूर्ण राज्य में दृष्टिगत होने लगे हैं ।

3. हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है । झारखण्ड स्थापना दिवस 15 नवम्बर, 2003 को हमारी सरकार द्वारा लगभग 33,000 बेरोजगारों को एक साथ सरकारी सेवाओं में नियुक्त/चयनित किया गया है जो नौकरी प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक है। सरकार का प्रयास है कि इस वर्ष सरकारी सेवाओं में उपलब्ध सम्पूर्ण रिक्तियों के विरुद्ध बेरोजगार युवाओं को नियुक्त किया जाय। अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए

पूर्व से सृजित रिक्त पदों (बैक लॉग) पर शीघ्र नियुक्ति करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

4. हमारी सरकार की प्राथमिकताएँ हैं – अन्यायमुक्त, भयमुक्त एवं अपराधमुक्त समाज एवं राज्य की स्थापना करना, जिससे विकासयुक्त वातावरण का सृजन हो सके और हमारा राज्य समृद्ध, समुन्नत हो। इस हेतु समाज के हर वर्ग का प्रत्येक क्षेत्र में उनके हितों का ध्यान रखा जा रहा है, परंतु समाज के ऐसे वर्ग जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं से पीड़ित रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करनेवाले सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

5. हमारी सरकार की यह भावना है कि प्रदेश का समुचित विकास पूर्ण सुरक्षा के वातावरण में ही सम्भव है। जब प्रदेश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, तभी राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ आगे बढ़ेंगी, सामाजिक समरसता बढ़ेगी और प्रदेशवासियों में उत्पादक ऊर्जा अविरल प्रवाहित हो सकेगी। इस हेतु राज्य में अपराधियों, असामाजिक तत्वों, खासकर उग्रवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है । उग्रवाद राज्य की एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या से

मिल–जुलकर, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर ही निदान पाया जा सकता है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है । विकास कार्यक्रमों के सही एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन से ही जन–आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, लोगों के जीवनस्तर में गुणात्मक परिवर्त्तन होंगे और इससे उग्रवाद की समस्या को समाप्त किया जा सकेगा ।

6. उग्रवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा दोहरी नीति अपनाई गई है। पहली नीति के अन्तर्गत विकास की गति को तीव्र कर समाज के पिछड़े एवं दलित वर्गों को न्यायपूर्ण हक दिलाकर उन्हें समाज एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना और दूसरा पुलिस प्रशासन को अत्याधुनिक हथियारों एवं अन्य सुविधाओं से सुसज्जित कर शासन व्यवस्था को दृढ़ता पूर्वक लागू करना। सरकार के इन प्रभावकारी नीतियों का ही यह प्रतिफल रहा है कि अब राज्य में जहाँ एक ओर उग्रवादियों को आत्म समर्पण करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर उन्हें पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त राज्य की जनता के तीव्र प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। राज्य की उत्साही जनता के प्रतिरोध के कारण राज्य से उग्रवादियों के पाँव उखड़ने लगे हैं। राज्य की जनता के इस साहसिक कार्य का हमारी सरकार अभिनन्दन करती है।

7. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्र

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2003–04 में झारखण्ड राज्य को 'बी–1' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्गीकरण के कारण पूर्व में जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का 50 प्रतिशत वहन किया जाता था वहीं अब केन्द्र सरकार द्वारा इस मद की योजनाओं का 75 प्रतिशत वहन किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भवन निर्माण, अस्त्र–शस्त्र, संचार व्यवस्था एवं सुरक्षात्मक उपकरणों पर लगभग 93 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2004–05 में लगभग 229.00 करोड़ रुपये कर्णांकित किये गये हैं।

8. राज्य में कारा आधुनिकीकरण की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत नये काराओं का निर्माण, काराओं में फिडिंग प्लेटफार्म, परिमितिवाल का ऊँचा करना, अस्पताल वार्ड, अस्पताल बेड, कैदियों के सोने की व्यवस्था, रसोई घर एवं जलापूर्ति की व्यवस्था आदि का कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2004–05 में लगभग 82.00 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है।

9. राज्य में अग्निशाम सेवा के आधुनिकीकरण हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2004–05 में लगभग 5.50 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस राशि में से 3.50 करोड़

रुपये राँची में हाईड्रोलिक प्लेटफार्म तैयार करने एवं लगभग 1.50 करोड़ रुपये राँची में ही पूर्व से निर्माणाधीन अग्निशाम सेवा मुख्यालय एवं संलग्न भवनों के निर्माण में खर्च किया जायेगा।

10. गाँवों एवं ग्रामीणों के चहुँमुखी विकास के लिए सरकार कृतसंकल्प है। गाँवों में आधारभूत संरचनाओं के विस्तार एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करनेवाले ग्रामीणों की आर्थिक समृद्धि के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे मजदूरी परक रोजगार योजनाएँ एवं स्वरोजगार योजनाएँ चलायी जा रही हैं जिनका मूल उद्देश्य ग्रामीणों की आय में वृद्धि कर उनके जीवनस्तर सुधारने एवं आवास सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

11. रोजगारमूलक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्ट्रीम-1 एवं स्ट्रीम-2 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2003 तक लगभग 264.00 करोड़ रुपये व्यय कर 2.15 करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए इस योजना हेतु राज्यांश के रूप में लगभग 100.00 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत मजदूरी के रूप में नगद राशि के अतिरिक्त खाद्यान्न भी दिये जाने का प्रावधान है।

12. राज्य में इन्दिरा आवास योजना के तहत लगभग 75 करोड़ रुपये राशि का व्यय कर 34,610 आवासों का नव निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जा चुका है तथा लगभग 54,500 आवासों का निर्माण/उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2004-05 में इन्दिरा आवास (नवनिर्माण एवं उन्नयन) के लिए राज्यांश के रूप में लगभग 35 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य है। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना एक शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत लगभग 18 करोड़ रुपये व्यय कर 12,565 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है एवं 10,372 आवासों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। आगामी वर्ष में इस योजना के लिए लगभग 53 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया जा रहा है।

13. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में लगभग 28,500 व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 3,600 स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया गया है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के शेष माह एवं अगले वर्ष में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में गुणात्मक सुधार लाकर रोजगार की सम्भावनाओं में विस्तार लाया जाय। वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए इस

योजना हेतु राज्यांश के रूप में लगभग 24 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

14. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्कता प्रदान करने हेतु ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। वर्ष 2000-01 में स्वीकृत 61 पैकेजों के अन्तर्गत लगभग 110.00 करोड़ रुपये का कार्य कराया जा चुका है एवं 35 योजनाएँ पूर्ण की गयी हैं। वर्ष 2001-02 में स्वीकृत 95 पैकेजों के अन्तर्गत लगभग 103.00 करोड़ रुपये का कार्य कराया जा चुका है। वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में तृतीय एवं चतुर्थ चरण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संसूचित 491.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं का कार्यान्वयन होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सम्पोषित योजना से भी वर्ष 2001 से 2003 तक 609 ग्रामीण पथों के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 3,850 कि0मी0 है, जिनमें से कुल लगभग 1300 कि.मी. की 261 पथ योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। इन योजनाओं पर वर्ष 2003-04 में अब तक 68.00 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है ।

15. हमारी सरकार की यह धारणा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र सड़क निर्माण कर देने से ही सभी गाँवों/टोलों

में सम्पर्कता नहीं बन पायेगी जबतक कि नदी नालों से आच्छादित इस पर्वतीय प्रदेश के छोटे-छोटे टोलों में रहने वाली आबादी को पुल-पुलियों से नहीं जोड़ा जाय। इस योजना के लिए जिला योजना की 80 प्रतिशत राशि से 29.00 करोड़ रुपये व्यय कर 631 योजनाएँ पूर्ण की गयी हैं तथा 1,044 योजनाएँ प्रगति पर हैं।

16. विधायक योजना के अन्तर्गत कुल लगभग 79.00 करोड़ रुपये व्यय कर 3,825 योजनाओं को पूरा किया जा चुका है एवं 5,875 योजनाएँ प्रगतिशील हैं। वर्ष 2004-05 में इस योजना के लिए 123.00 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

17. ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं के कार्यान्वयन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन दायित्व लाभुकों की समिति को दिया गया है, जिससे इन योजनाओं का सतत् सामाजिक मूल्यांकन हो सकेगा।

18. राज्य में मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जहाँ 80 प्रतिशत जनता कृषि एवं सम्बन्धित कार्यों पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण के विकास का अभाव, आवश्यक उपादानों की कमी, एक फसलीय उत्पादन एवं कृषि क्षेत्र में बैंकों द्वारा

बहुत कम ऋण उपलब्ध कराये जाने के कारण राज्य में फसल उत्पादकता का स्तर राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है। राज्य अपनी खाद्यान्न आवश्यकता का मात्र 50 प्रतिशत का ही उत्पादन कर पा रहा है। राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा बीज विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों के सामान्य बीज के बदले उनको प्रामाणिक बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय तेलहन उत्पादन कार्यक्रम, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को उस फसल के उन्नत/संकर बीज उपकरण, उपादान आदि उपलब्ध करा कर कृषि की उन्नत तकनीकी का प्रत्यक्षण एवं प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। फसल आकस्मिकता योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त कृषकों के बीच प्रामाणिक बीज का वितरण किया गया है।

19. कृषि के क्षेत्र में यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों के मध्य अनुदान पर 211 छोटे ट्रैक्टर, 844 पावर टीलर, 211 पावर रिपर्स 4803 मेटल सिडविन एवं 2110 अन्य कृषि उपकरणों के वितरण का कार्य प्रगति पर है। पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत फलों के बाग के रूप में "पौषनिक उद्यान" विकसित करने की योजना चलाई जा रही है। राज्य में औषधीय एवं सुगन्धित पौधों के विकास हेतु 10 चयनित जिलों में नर्सरी स्थापना एवं प्रत्यक्षण की योजना चलाई जा रही

है, जिसमें लघु/सीमान्त कृषकों को सिंचाई स्रोत, सिंचाई यंत्र, पौधा सामग्री एवं उपादान हेतु सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

20. राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 500 कृषकों को वर्मी कम्पोस्ट के व्यवसायिक उत्पादन हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है । सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक 1.5 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर मृदा अम्लता एवं मैक्रोन्यूट्रीएँट्स मैपिंग की योजना आरम्भ की जा रही है जो कृषकों को अपनी कृषि भूमि के लिए उपादान प्रबंधन में सहायक होगी। हजारीबाग एवं साहेबगंज जिलों में पायलट आधार पर वर्ष 2003-04 के रब्बी मौसम में गेहूँ की फसल हेतु "कृषि आय बीमा योजना" प्रारम्भ की गयी है, जिससे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, फसल से कम आय होने की परिस्थिति में कृषक को पूर्व अधिसूचित बीमा राशि उपलब्ध कराई जायेगी। प्रीमियम पर अनुदान की पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

21. राज्य में एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज के विकास के लिए सघन प्रयास किया जा रहा है। कृषि फार्मों की व्यवस्था को दुरूस्त किया जा रहा है। इससे जहाँ एक ओर कृषि उत्पादन की बढ़ोत्तरी हो सकेगी वहीं दूसरी ओर उत्पादों की गुणवत्ता भी उत्तम कोटि की हो सकेगी। सभी कृषि प्रक्षेत्रों एवं प्रखण्ड स्तर पर

प्रोजनी नर्सरी को पुनर्जीवित एवं सुदृढ़ करने की दिशा में एक वृहद् योजना बनाई गयी है, जिससे इन नर्सरियों का उपयोग उत्तम किस्म के बीज एवं पौधों के उत्पादन में किया जा सकेगा। कृषि तकनीक के प्रसार हेतु दुमका, जामताड़ा, पलामू तथा चाईबासा में एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किया गया है।

22. राज्य सृजन के पश्चात् अल्पावधि में ही कृषि विकास के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। बीज विनियमय कार्यक्रम, मेडिसीनल एवं एटोमेटिक प्लांट का उत्पादन एवं वितरण, हाइब्रीड भेजिटेबुल सीड्स एवं पौधों का वितरण कुछेक ऐसे कार्यक्रम चलाये जा रहे है जिससे खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त किया जा सकता है। हमारी सरकार की भावना है कि खाद्यान्न के क्षेत्र में न केवल हमारा राज्य आत्मनिर्भर बने बल्कि खाद्यान्न एवं अन्य कृषि जनित उत्पादों का हम निर्यात कर सकें। खासकर सब्जी एवं फूलों के क्षेत्र में 10 हजार टन अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य है।

23. कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों का दोहन वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। अधिक से अधिक जल स्रोतों का दोहन करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा निम्न रूपेण प्राथमिकताएँ तय की गयी हैं :–

क. वर्षों से अधूरी वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करना,

ख. ग्राम भागीरथी एवं लघु सिंचाई योजनाओं से झारखण्ड में जल क्रांति लाना,

ग. पुरानी योजनाओं का पुनर्स्थापन कर सिंचित क्षेत्र बढ़ाना एवं

घ. जल संसाधन के विकास के कार्यों से लाभुकों को जोड़ना।

उक्त परिप्रेक्ष्य में स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, अजय बराज परियोजना, गुमानी बराज योजना, पुनासी जलाशय योजना एवं अमानत बराज का कार्य द्रुतगति से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावे कतरी जलाशय योजना, धनसिंह टोली जलाशय योजना एवं कंसजोर जलाशय योजना का निर्माण कार्य समाप्ति के निकट है जिससे 7,540 हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। वर्षों से लम्बित स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजनाओं के चांडिल बांयी मुख्य नहर के 15 कि.मी. की लम्बाई में दिनांक 31.8.03 को पानी देकर लगभग 550 हेक्टर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गयी है तथा वर्ष 2004 में लगभग 79 कि. मी.

तक सभी वितरण प्रणालियों के कार्य को पूरा करते हुए 20,000 हेक्टर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। साथ ही राज्य में बड़े पैमाने पर चेकडैम, आहर, तालाबों का जाल बिछाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में बड़े स्तर पर माईक्रोलिफ्ट के निर्माण का भी कार्यक्रम है, जिसमें कुल खर्च का 10 प्रतिशत राशि लाभुकों द्वारा लगाया जायेगा तथा योजना पूरी होने पर योजना को रख-रखाव एवं संचालन के लिए उसे लाभुकों को सौंप दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2004-05 में गंगा नदी से साहेबगंज में हो रहे कटाव एवं सोन तथा अन्य सहायक नदियों से पलामू एवं गढ़वा जिला में हो रहे कटाव को रोकने के लिए कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन करने की योजना है।

24. हमारी सरकार का मानना है कि राज्य के विकास की पहली शर्त आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाना है। आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में 1,000 पथों का कालीकरण एवं 26 पुल योजनाओं का निर्माण सम्पन्न कराया गया है। राष्ट्रीय उच्च पथ के 335 कि.मी. लम्बाई के राइडिंग क्वालिटी में सुधार किया गया है एवं लगभग 50 कि. मी. पथों का दोहरीकरण किया गया है। सभी जिला मुख्यालयों, आर्थिक महत्व के सभी पथों, औद्योगिक, पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले पथों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं दोहरीकरण

का कार्य किया जा रहा है। झारखण्ड की उपराजधानी दुमका एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुगम सम्पर्कता हेतु गोविन्दपुर–जामताड़ा–दुमका–साहेबगंज पथों का निर्माण कराने की योजना है। राज्य में पथों एवं पुलों का लगभग 1250.00 करोड़ रुपये की लागत की योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 12 चयनित राष्ट्रीय स्तर के परामर्शियों एवं विभागीय स्तर पर निर्माण हेतु तैयार किया गया है। निर्माण कार्य में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता जाँच हेतु बाह्य परामर्शी का सहयोग, क्वालिटी कंट्रोल, डायरेक्ट्रेट की स्थापना, निविदा कार्य दो लिफाफा पद्धति के आधार पर आमंत्रित किये जाने सम्बन्धी पद्धति अपनाई गयी है। राष्ट्रीय उच्च पथ सं.–33 के बरही से राँची एवं राँची से बहरागोड़ा तक 333 कि.मी. पथ का 4 लेनिंग कार्य भी प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त गंगा नदी में साहेबगंज घाट पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कार्य भी प्रस्तावित है।

25. राज्य में पूँजीनिवेश बढ़ाने एवं राज्य में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात अर्थात् राजकीय व्यापार के सम्वर्द्धन के परिप्रेक्ष्य में पूँजीनिवशकों तथा उद्यमियों को बुनियादी सुविधाएँ सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु सरकार दृढ़ संकल्प है। बुनियादी सुविधाओं के मद्देनजर सरकार पश्चिमी सिंहभूम से उड़ीसा स्थित पारादीप बन्दरगाह तक यातायात को सुगम करने हेतु ड्राइपोर्ट के

निर्माण के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है, साहेबगंज जिला से पश्चिम बंगाल स्थित हलदिया समुद्र तट तक "सी–फेरी" की भी व्यवस्था की जा रही है। राज्य के निर्यात बाजार को समृद्ध करने के उद्देश्य से राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है तथा राँची से रायपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना एवं गौहाटी इत्यादि नगरों को भी वायु–मार्ग से जोड़ने का विचार है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार द्वारा एयर ट्रैफिक फ्यूल टैक्स (ATF) कम किया गया है।

26. सुचारू एवं सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था सिर्फ विकास का द्योतक ही नहीं अपितु राजस्व संग्रहण का प्रमुख स्रोत है। परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अन्य माध्यमों के अतिरिक्त रेल–माध्यम को भी समुचित उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। रेल परियोजनाओं के अंतर्गत रेल मंत्रालय एवं राज्य सरकार के बीच अगले 5 वर्षों के लिए छः रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहमति–पत्र हस्ताक्षरित किये गये हैं। इन परियोजनाओं पर 1997.00 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसका 2/3 व्यय भार अर्थात् 1331.20 करोड़ रुपया राज्य सरकार द्वारा एवं 1/3 व्यय भार 665.60 करोड़ रुपया रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं राज्य की आधारभूत संरचनाएँ सुदृढ़ होंगी।

27. हमारी सरकार की यह धारणा है कि राज्य की सर्वोत्मुखी विकास के लिए प्रचुर मात्रा में बिजली का उपलब्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सृजन के बाद विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में बहुत सुधार किया गया है। ऊर्जा की खपत 140 यूनिट प्रति व्यक्ति से बढ़कर 220 यूनिट प्रति व्यक्ति हो गई है। ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार हेतु एवं निजी पूँजीनिवेश को बढ़ाने के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के सभी 30,225 गाँवों को वर्ष 2007 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। राज्य सृजन के पश्चात् अब तक 2000 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है। दूर-दराज के करीब 2000 गाँवों में जहाँ तार द्वारा बिजली नहीं पहुँचाई जा सकती है, वहाँ सोलर ऊर्जा, बायोमास-गैसीफायर के माध्यम से विद्युतीकरण करने की योजना है।

28. ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बोकारो में डी.वी.सी. द्वारा 2,000.00 करोड़ रु. की लागत पर 500 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लान्ट लगाने की स्वीकृति दी गयी है। निजी क्षेत्र में चांडिल में टाटा पावर को 4,000.00 करोड़ की लागत से 1,000 मेगावाट एवं साउण्ड क्राफ्ट को 4,000.00 करोड़ की लागत से 1,000 मेगावाट क्षमता के कोयले पर आधारित पावर प्लान्ट

लगाने की स्वीकृति दी गयी है। दुमका में 500.00 करोड़ रुपये की लागत से 220 मेगावाट का पावर प्लान्ट के.एस.के., हैदराबाद की कम्पनी को लगाने की स्वीकृति दी गयी है। इसी तरह पतरातु में 5000.00 करोड़ रु. की लागत से 1000 मेगावाट क्षमता के पावर प्लान्ट लगाने हेतु ई.ई.एल., अमरिका की कम्पनी के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया है।

29. वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए राज्य योजना मद में ऊर्जा उत्पादन इकाई के लिए लगभग 27.00 करोड़, संचरण में 33.00 करोड़, वितरण में 38.00 करोड़, ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 48.00 करोड़ के व्यय की योजना है।

30. जल ही जीवन है। राज्य में दिन–प्रतिदिन गिरते भूगर्भ जलस्तर, वर्षा की कमी इत्यादि के कारण जलापूर्ति राज्य की एक प्रमुख समस्या है। इस विकट समस्या के त्वरित समाधान के लिए हमारी सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है। वर्षा के जल का हारवेस्टिंग कर जल संरक्षण संरचना के निर्माण द्वारा जल स्तर का सम्वर्द्धन एवं पेयजल की आधारभूत सुविधा जन समुदाय को उपलब्ध कराने के लिए गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। राँची शहर अंतर्गत जलापूर्ति कार्यक्रम सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी योजनाएँ आरम्भ की गयी हैं। रुक्का से बूटी तक 38" व्यास के एम.एस. पाईप

बिछाने का कार्य सम्पन्न हो चुका है। राँची के पिस्का मोड़, चर्च रोड एवं हिन्दपीढ़ी जलापूर्ति उन्नयन कार्य हेतु जलमीनार निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के क्षेत्र में हजारीबाग, मेदनीनगर, जसीडीह के साथ-साथ खूँटी, मधुपुर, गुमला आदि शहरों के लिए वृहत जलापूर्ति योजना का प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2004-05 के अंतर्गत शहरी जलापूर्ति योजना में कुल 49.00 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य प्रस्तावित है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत लगभग 750.00 लाख रुपये के वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध प्रत्येक पंचायत में दो नलकूप निर्माण योजना के तहत 6,654 ड्रील्ड नलकूप का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2004-05 के अंतर्गत जल के विखरित स्रोतों का निर्माण, पूर्णस्थापन, स्रोत एवं प्रणाली का स्थायीकरण इत्यादि लक्ष्यों के पूर्ति हेतु 85.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में लोक जल समृद्धि योजना चालू की गयी है जिसके तहत प्रत्येक विधान सभा सदस्य को 50.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

31. ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन के माध्यम से पर्याप्त स्वरोजगार के अवसर सृजित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं न्यूनतम पौष्टिक आहार की पूर्ति करने के सम्बन्ध

में व्यापर योजनाएँ चलायी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी दुग्ध उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विजन–2010 के अन्तर्गत इस राज्य को दूध उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय परिदृश्य में बराबरी का दर्जा दिलाने हेतु कार्य किये जा रहे हैं। शत–प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान पर राज्य के 4 जिलों यथा – गिरिडीह, गोड्डा, देवघर तथा दुमका में "समेकित गव्य विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत 2.00 करोड़ रुपया का व्यय कर दुमका एवं देवघर में दुग्ध शीतक केन्द्र, दुग्ध प्रबन्धन समिति को अनुदान इत्यादि कार्य कराये गये हैं। राज्य के 12 जिलों में युवा ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को चार माह का पारावेट प्रशिक्षण दिलाकर प्रत्येक जिले में 5–5 डेयरी कैटल डेवलपमेंट केन्द्र की स्थापना करने एवं दुधारू पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था के लिए लगभग 48.00 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गयी है। इन केन्द्रों पर तकनीकी नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन एवं सहयोग "बैफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन", उरलीकांचन, पुणे से 10 वर्षों तक सहयोग लिया जायेगा। इस योजना के लिए समुचित प्रबन्धन व्यवस्था तथा कार्य पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में डिस्ट्रीक्ट कैटल ब्रीडर्स एसोशियेसन तथा राज्य स्तर पर स्टेट डेयरी लाईभस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना का विचार किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में गव्य विकास कार्यक्रमों के सघन कार्यान्वयन का

यह परिणाम रहा है कि राज्य में 50 हजार लीटर दूध प्रतिदिन की दर से उत्पादन में औसत वृद्धि हुई है। सहकारी दुग्ध उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गठित स्व–सहायता समूहों को सहकारी दुग्ध उद्योग से जोड़ने की व्यापक कार्य योजना तैयार की गयी है।

32. राज्य में मत्स्य विकास की योजनाओं का सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किया जा रहा है। तालाब मत्स्य का विकास, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, जलाशय मत्स्य का विकास, मत्स्य कृषकों को अनुदान, मत्स्य प्रसार योजना इत्यादि ऐसी महत्वकांक्षी योजनाएँ राज्य में चलाई जा रही हैं, जिससे मछलियों के उत्पादन एवं मछुआरों के जीवनस्तर में उल्लेखनीय प्रगति होगी, राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। हमारी सरकार का यह विचार है कि सभी प्रखण्डों में एक ऐसे तालाब का निर्माण किया जाय या पूर्व निर्मित तालाब को अंगीकृत कर उनसे उत्कृष्ट कोटि के मिसित मत्स्य बीज का उत्पादन कर उत्पादित बीच का उपयोग गाँव के सभी तालाबों में किया जाये। इन तालाबों का संधारण सरकारी/ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। राज्य में मिसित मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में असीम सम्भावनाएँ हैं।

अभी मछलियों की खपत की तुलना में उत्पादन कम हो रहा है, जिस कारण अन्य राज्यों से मछली का आयात करना पड़ता है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं उसका पर्यवेक्षण सुदृढ़तापूर्वक किया जा रहा है और आने वाले समय में राज्य में मत्स्य उत्पादन इतना अधिक हो सकेगा जिससे राज्य में खपत के अतिरिक्त अन्य राज्यों को भी इसका निर्यात किया जाना सम्भव हो सकेगा।

33. राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से आय उत्पादक योजना अन्तर्गत पिछले वर्ष अनुसूचित जनजाति के लगभग 51.00 युवक युवतियों को 10-10 के समूह की एक इकाई पर कुल 589 बसों का वितरण किया गया था। इस वर्ष अनुसूचित जाति के युवक युवतियों के लिए 10-10 की समूह की एक इकाई के लिए 154 बसों का वितरण किया जा रहा है। इन वर्गों के छात्र-छात्राओं में अध्ययन के प्रति अभिरूचि पैदा करने एवं उनकी आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए अनेकों योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में साईकिल वितरण

की योजना, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति, अम्बेदकर तकनीकी छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण, एकलव्य/आश्रम आवासीय विद्यालय योजना, पोषाक आपूर्ति योजना, पुस्तक अधिकोष की योजना आदि प्रमुख है। बिरसा मुण्डा आवास योजना, ग्रामीण अस्पताल निर्माण योजना एवं सिंचाई कूप निर्माण योजना के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवनस्तर के उन्नयन का प्रयास किया जा रहा है।

34. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से राज्य में छात्रवृत्ति वितरण योजना चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, मुसहर छात्रवृत्ति, गंदे कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति, तकनीकी छात्रवृत्ति, क्रीड़ा छात्रवृत्ति आदि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2003-04 में लगभग 63.00 करोड़ रुपये की राशि इस मद में स्वीकृत की गयी है और वित्तीय वर्ष 2004-05 में इन योजनाओं के लिए लगभग 72.00 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया जाना है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की छात्राओं के विद्यालय से ड्राप आउट (Drop out) को रोकने के उद्देश्य से अष्टम् वर्ग की छात्राओं को मुफ्त साईकिल उपलब्ध कराने की योजना चलाई जा रही है। इस

योजना पर वर्ष 2002–03 में लगभग 8.00 करोड़ रुपये व्यय किये गये, वित्तीय वर्ष 2003–04 में 3.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी एवं वित्तीय वर्ष 2004–05 में लगभग 7.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। इन वर्गों के लोगों के सम्यक् विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम तो उठाये ही गये हैं साथ ही पहाड़िया जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत पहाड़िया मध्याह्न भोजन, पहाड़िया स्वास्थ्य योजना एवं पहाड़िया भोकेशनल शिक्षा प्रमुख हैं।

35. राज्य में निवास करनेवाली 9 आदिम जनजातियों को उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति को रोकने और उनके स्थाई विकास के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा बिरसा मुण्डा आवास योजना संचालित की गयी है। इस योजना के तहत सभी आदिम जनजाति के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 21.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 36.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

36. राज्य के गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत राज्य के सभी प्रखंडों में बाल विकास परियोजनाओं के

तहत लगभग 24,400 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के लिए पोषाहार, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा का कार्य किया जा रहा है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से राज्य के सभी गर्भवती तथा धातृ महिलाओं को पोषाहार एवं स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। इस कार्यक्रम को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त पोषाहार भी दिया जा रहा है।

37. गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली महिलाओं के विकास हेतु समेकित महिला विकास कार्यक्रम के तहत् स्वयंसिद्धा योजना चलाई जा रही है, जिसमें महिलाओं का समूह बनाकर उनके स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का यह निर्णय है कि स्वयं सहायता की इन महिलाओं को जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर चलाई जा रही अन्य सरकारी योजनाओं में भी भागीदारी दी जाय। राज्य में किशोरी शक्ति योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसमें 18 वर्ष तक की बालिकाओं को पोषाहार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देना मुख्य उद्देश्य है। राज्य में विकलांग बच्चों को शिक्षा के लिए बढ़े हुए दर पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। वैसे सभी व्यक्ति जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं उन्हें विशेष उपकरण देने हेतु इस वर्ष 1.75 करोड़

रुपये आवंटित किये गये हैं। गरीबी रेखा से नीचे के सभी जाति एवं वर्ग के छात्राओं को जो अष्टम वर्ग में अध्ययनरत हैं को भी मुफ्त साईकिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ताकि वे भी अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रख सकें।

38. राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की लड़कियों की शादी कराने की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा व्यापक सामाजिक प्रभाव वाली महत्वाकांक्षी योजना (मुख्यमंत्री कन्यादान योजना) प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के तहत सम्बन्धित परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए प्रत्येक को 10,000.00 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें 5,000.00 रुपये नगद एवं 5,000.00 रुपये के समतुल्य सामग्रियाँ उपहार स्वरूप दी जा रही हैं।

39. शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक सुधार करने के प्रति हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारी यह मान्यता है कि शिक्षा में उच्च कोटि के गुणात्मक विकास के बिना भूमण्डलीकरण के इस युग में हम अपना विशिष्ट स्थान नहीं बना पायेंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन के प्रत्येक स्तरों एवं वर्गों में गुणात्मक सुधार किया जाय। हमारी सरकार ने अपनी जनता को साक्षर बनाने की योजना को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में ऐसा प्रयास किया जा

रहा है कि मात्र राष्ट्रीय साक्षरता दर को प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य न हो, बल्कि मानव संसाधन के सम्वर्द्धन के क्षेत्र में झारखण्ड एक आदर्श राज्य के रूप में उभरे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास हेतु विद्यालय प्रबंधन में ग्रामीणों एवं अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की गयी है। शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सर्वशिक्षा अभियान, ग्राम शिक्षा अभियान, सरस्वती वाहिनी (मध्याह्न भोजन) योजना, महिला साक्षरता अभियान इत्यादि चलाया जा रहा है।

40. राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही उच्च विद्यालयों में रिक्त पदों पर भी नियुक्ति करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है। ग्राम शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में अब तक लगभग 16,400 अभियान विद्यालय गठित कर 6 लाख बच्चों को नामांकित किया गया है। इन अभियान विद्यालयों में मैट्रिक उत्तीर्ण या इससे अधिक योग्यता वाले युवक/युवतियाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। इन शिक्षकों को ग्राम समिति द्वारा मानदेय के रूप में भुगतान की जाती है। भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप राज्य में सर्वशिक्षा अभियान व्यापक रूप में चलाये जा रहे हैं। राज्य के 6–14 आयुवर्ग के कुल 58.08 लाख बच्चों में तत्काल 35.92 लाख सरकारी एवं 8.78 लाख

निजी विद्यालयों में नामांकित हैं। सर्वशिक्षा अभियान हेतु चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 38 करोड़ रु. राज्यांश के रूप में विमुक्त किया गया है। राज्य के सभी वर्ग की छात्राओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी छात्रों को वर्ग 1–8 तक राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गयी हैं।

41. राज्य में शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अन्य योजनाओं के अतिरिक्त सरस्वती वाहिनी मध्याह्न भोजन योजना, कम्प्यूटर शिक्षा योजना प्रारम्भ की गयी है। विगत कई वर्षों से प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.एड. स्तर का प्रशिक्षण जो अवरुद्ध था, को पुनः प्रारम्भ किया गया है। पूर्ववर्ती बिहार राज्य में मदरसा, संस्कृत आदि भाषाई शिक्षा तथा +2 स्तर तथा मैट्रिक स्तर की परीक्षा संचालन के लिए विभिन्न परिषद तथा बोर्ड गठित थे। हमारी सरकार द्वारा इन सभी परिषदों एवं बोर्डों को एकीकृत कर एक "झारखण्ड एकाडेमिक काउंसिल" का गठन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में नये परिवेश के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक विकास एवं शैक्षणिक अनुसंधान तथा इसकी नयी रूप–रेखा तैयार करने हेतु एस.सी.इ.आर.टी. का गठन किया जा रहा है। राज्य के लब्ध प्रतिष्ठित "नेतरहाट आवासीय विद्यालय तथा इन्दिरा गाँधी बालिका विद्यालय" जिसमें राज्य के विभाजन के बाद नामांकन बन्द था, में इस वर्ष पुनः नामांकन कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य के उपयुक्त शिक्षण संस्थाओं, जिन्हें पूर्व से किसी प्रकार की

सरकारी सहायता प्राप्त नहीं थी और जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान की श्रेणी में थे, को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप-दंडों के अनुरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

42. हमारी सरकार राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार की यह भावना है कि तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताओं का विकास कर ही हम अपने राज्य को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। हमारी सरकार तकनीकी शिक्षा का विकास, उसके सुदृढ़ीकरण एवं उसके गुणवत्ता के विकास के लिए गम्भीर प्रयास कर रही है। सभी प्रमण्डलों में तकनीकी शिक्षा संस्थानों को निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीति के अनुरूप अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक संस्थान, एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. हेतु संस्थान खोलने जा रही है।

43. राज्य के निवासियों में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रति अभिरूचि एवं जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से राँची में तारामण्डल, रिजिनल साइंस सेंटर तथा अन्य जिलों में जिला विज्ञान केन्द्र-सह-तकनीकी पुस्तकालय, रूरल टेक्नोलॉजी पार्क, फौसिल पार्क, साइंस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। बंजर जमीन में औषधीय पौधों के रोपण की भी कार्रवाई की गयी है।

44. राज्य की जनता को सहज सुलभ एवं विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता

है और इसके लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र से लेकर चिकित्सा महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ–साथ चिकित्सकों एवं पारामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति अनुबंध पर की गयी है, ताकि चिकित्सा सुविधा सहज रूप से उपलब्ध हो सके। राँची स्थित "रिम्स" में 12 विभिन्न चिकित्सा विभागों में सुपर स्पेशिलिटी सुविधा का सृजन किया जा रहा है। रिम्स को उत्क्रमित करते हुए "एम्स" के क्षेत्रीय संस्थान के रूप में चिन्हित भी किया गया है। राज्य में अवस्थित सदर अस्पतालों को 100 शैय्या वाले अस्पतालों में उत्क्रमित किये जाने की योजना है। राज्य में देशी चिकित्सा के विकास की प्रचुर सम्भावनाओं को देखते हुए इस पद्धति के सर्वांगीण विकास के लिए हारवेरियम की स्थापना की योजना का चयन किया गया है ताकि राज्य में पाये जाने वाले वनौषधि पौधों को विकसित कर एवं अंगीकृत कर इस पद्धति को समुन्नत किया जा सके।

45. राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले असहाय लोगों के असाध्य रोगों जैसे – कैंसर, हृदय रोग, एड्स आदि की चिकित्सा हेतु 10.00 करोड़ रु. की लागत से राज्य बीमारी इलाज प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है। इस राशि से प्रभावित व्यक्तियों को अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सहायता की जाती है। इस योजना से अब तक कुल 992 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

46. मलेरिया जैसे गम्भीर रोग का निदान पाने के लिए मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। टी.बी. रोग से प्रभावित व्यक्तियों को सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुफ्त दवा उपलब्ध कराया जा रहा है तथा सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में बलगम जाँच की व्यवस्था की गयी है। मोडिफायड कुष्ठ इकाई को उत्क्रमित कर सभी जिलों में डी.एल.ओ. कार्यालय बनाया गया है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु यूरोपियन कमिशन के सहयोग से सेक्टर रिफार्म सेल का गठन किया गया है।

47. झारखण्ड राज्य खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का समुचित उपयोग कर राज्य का त्वरित आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में नयी औद्योगिक नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस नीति के प्रावधानों को लागू करते हुए प्राप्त पूँजी निवेश के प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय हेतु मेगा औद्योगिक इकाईयों के लिए विशेष पैकेज का स्पष्ट एवं पारदर्शी माप–दण्ड तैयार किया गया है। राज्य सृजन के पश्चात् अब तक लगभग 710.00 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश राज्य में हुआ है। राज्य सरकार की सार्थक औद्योगिक नीतियों का यह प्रतिफल है कि अब तक कुल 17,000.00 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

48. हमारी सरकार द्वारा साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, राँची केन्द्र की स्थापना के लिए साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया भारत सरकार के साथ एम.ओ.यू. किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का राँची केन्द्र पूरी तरह उद्यमियों के लिए तैयार हो जायेगा।

49. राज्य सरकार के द्वारा स्पेशल इकोनामिक जोन की स्थापना राँची एवं कान्ड्रा–आदित्यपुर के बीच किये जाने के दो प्रस्तावों को भारत सरकार के पास समर्पित किया गया, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राँची के प्रस्ताव पर भारत सरकार की नीतिगत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और उसकी स्थापना हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

50. हमारी सरकार द्वारा राज्य में पारम्परिक उद्योगों की पहचान करते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने, उन्नत डिजाईन तैयार करने, तकनीकी सहायता एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। राँची, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर में अरबन हाट की स्थापना करने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में रोजगार सृजन के क्षेत्र में हस्तकरघा उद्योग की एक प्रमुख भूमिका है। हस्तकरघा योजना दो स्तरों पर चलाई जा रही है जिनमें एक हस्तकरघा सघन विकास योजना एवं दूसरा सहकारिता है।

51. राज्य के रुग्ण उद्योगों का पुनर्वास करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए झारखण्ड उद्योग पुनर्वास योजना 2003, लागू की गयी है एवं तत्सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है। राज्य में यूरेनियम कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड, जादूगोड़ा के तत्वाधान में लगभग 300.00 करोड़ रुपये की लागत से यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं।

52. झारखण्ड राज्य खनिज सम्पदा की दृष्टि से देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य की समृद्धि एवं खुशहाली तभी सम्भव है जब धरती में छिपी इन खनिज सम्पदाओं का वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण एवं अधिकाधिक विकास की जाय। हमारी सरकार द्वारा खनिजों की खोज एवं उत्खनन पर विशेष बल दिया गया है। लोहा, मैंगनीज, ग्रेफाईट, पायरोक्सनाईट जैसे मूल्यवान खनिजों पता लगाया है और इन बेशकिमती खनिजों के अन्वेषण हेतु राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जा रहा है।

53. हमारी सरकार द्वारा खनिज विकास एवं खनिज आधारित आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु प्राथमिकता निर्धारित की गयी है। खनिज संरक्षण एवं खनिज सम्वर्द्धन करने वाले निवेशकों को प्राथमिकता के आधार पर खनिज अनुदान प्रदान

करने की नीति बनाई जा रही है। झारखण्ड राज्य में खनिज आधारित उद्योग लगाने हेतु 30 से भी अधिक निवेशकों द्वारा 14,000.00 करोड़ से भी अधिक के पूँजी निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसपर सरकार विचार कर रही है। सर्वश्री मोनेट इस्पात एवं मेसर्स टेक–अल के साथ कमशः 1,400.00 करोड़ एवं 6,500.00 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश के प्रस्ताव पर एम.ओ.यू. किये गये हैं।

54. झारखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाएँ हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए इस प्रक्षेत्र को विकसित कर रोजगार के नये अवसर सृजित किये जा रहे हैं और इस क्रम में पर्यटक गन्तव्य (Destination) एवं यात्रा सर्किट चिन्हित किये गये हैं। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटक स्थलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

55. राज्य में स्थित 23 अति महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नयी दिल्ली के सहसयोग से कार्रवाई की गयी है। पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत गुहियापाल नामक पुरातात्विक स्थल के उत्खनन् कार्य करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। राँची एवं दुमका में संग्रहालयों के निर्माण के लिए भू–खण्ड का चयन कर लिया गया है। मेगा स्पोर्ट्स कमप्लेक्स् के निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है।

56. सांस्कृतिक उन्नयन के दृष्टिकोण से राज्य में 9वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस भव्य समारोह के शानदार आयोजन से हमारा राज्य गौरवान्वित हुआ है। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखण्ड राज्य में होने जा रहा है। यह हमारे लिए सम्मान की बात है। इस राष्ट्रीय खेल आयोजन के मद्देनजर आगामी वर्ष को राज्य के लिए खेल संस्कृति संरचना निर्माण वर्ष के रूप में जाना जायेगा।

57. राज्य में राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप वनाच्छादन का प्रतिशत 29.61 से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वनों के विकास के साथ-साथ वन क्षेत्र एवं इसके आस-पास निवास करने वाले ग्रामीणों के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। वनों की सुरक्षा एवं सम्वर्द्धन में स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में संयुक्त वन प्रणाली लागू की गयी है। राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में स्थायी पौधशाला स्थापित करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित है। "झारखण्ड सहभागीय वन प्रबंधन परियोजना" के प्रथम चरण का कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य सहभागीय वन प्रबंधन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन है। यह एक महत्वकांक्षी

एवं बहुआयामी परियोजना है जिसमें पी.पी.एफ. (Project preparation facility) में विभिन्न प्रकार के शोध एवं अध्ययन के अतिरिक्त 50 ग्रामों का चयन कर उनमें पायलट ट्रायल किया जाना है। इस परियोजना के तहत सामाजिक आकलन के उपरांत ही योजना की रूप–रेखा तैयार की जायेगी, ताकि विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक / आर्थिक परिस्थितियों का समावेश परियोजना सूत्रण में किया जा सके।

58. हाल ही में केन्द्र सरकार ने वन गाँवों को राजस्व गाँवों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त वनों में रह रहे जनजातीय लोगों द्वारा कम से कम 31 दिसम्बर 1993 के पूर्व से अधिकृत जमीन के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अपयोजन करने का निर्णय भी केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है। केन्द्र सरकार के निर्णयों के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

59. राज्य के सम्पूर्ण विकास में कुशल वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य के आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2002–03 में 215.00 करोड़ रुपये ऋण का "डेब्ट स्वेपिंग" (Debt swapping) किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में भी लगभग 500.00 करोड़ रुपये का डेब्ट स्वेपिंग करने

का प्रस्ताव है। राज्य में कर व्यवस्था में सुधार लाया गया है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न वस्तुएँ उचित मूल्य पर मिलने लगे हैं साथ-ही-साथ राजस्व आय में भी वृद्धि हुई है।

60. हमारी सरकार अपने कर्मचारियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण सजग एवं संवेदनशील है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों की बहुप्रतीक्षित माँग को मूर्तरूप देते हुए केन्द्रीय कर्मियों की भाँति अपने कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ उपलब्ध कराया है। शेट्टी कमीशन की अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के अनुपालन में झारखण्ड न्यायिक सेवा के अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

61. हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, केन्द्रीय सहायता प्राप्त बन्धुआ मजदूर पुनर्वास योजना एवं वस्त्र वितरण कार्यक्रमों के माध्यम से लाभुकों को लाभ पहुँचाया जा रहा है।

62. वित्तीय वर्ष 2003-04 में 103 अनुसूचित जाति के लाभुकों के बीच 78 एकड़ एवं 212 अन्य जातियों के

व्यक्तियों के बीच 97 एकड़ भूमि कृषि कार्य हेतु वितरित की गई है। कृषि कार्य हेतु सरकारी गैर मजरूआ खास भूमि एवं भूदान भूमि इत्यादि का वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। आदिवासियों की भू–वापसी कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 4,243 मामलों का निष्पादन किया गया है।

63. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों को जनवितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते दर पर गेहूँ, चावल, चीनी तथा किरासन तेल उपलब्ध कराने के प्रति हमारी सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है।

64. हमारी सरकार द्वारा सभी शहरों एवं कस्बों का सुनियोजित एवं योजनाबद्ध तरीके से विकास कर ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों को आर्थिक एवं वाणिज्यिक न्यूक्लियस के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में कार्य किये जा रहे हैं। सभी शहरी निकायों में सड़क, नाली निर्माण, पथ–प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जा रही है। बाल्मीकि अम्बेदकर मलिन बस्ती आवास योजना के अन्तर्गत स्लम क्षेत्रों में रहने वाले निर्धनों के लिए 6,277 आवास निर्माण का लक्ष्य है। शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे के अनुसूचित जनजाति/जाति के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु हुडको के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है।

65. प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व सुशासन का मूल आधार होता है। हमारी सरकार प्रशासन को और अधिक जनकेन्द्रित, संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने हेतु कृत संकल्प है। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि समस्त प्रशासन तंत्र पूर्ण दक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। सरकार का यह मानना है कि प्रदेश के अधिकांश समस्याओं का निराकरण अच्छे प्रबंधन एवं उच्च स्तरीय प्रशासन के माध्यम से किया जा सकता है। मेरी सरकार की यह प्राथमिकता है कि प्रशासन संवेदनशील एवं जनसमस्याओं के समाधान हेतु तत्पर एवं परिणामपरक हो।

66. राज्य में पूर्व से प्रभावी जटिल एवं दुरूह कार्य पद्धति को सहज एवं सरल बनाकर उसे लोकोन्मुख एवं परिणामोन्मुख स्वरूप प्रदान किया गया है। क्षेत्रीय प्रशासनिक तंत्र को ई–गवर्नेंस की परिधि में लाकर सभी सरकारी कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

67. हमारी सरकार राज्य के चहुँमुखी विकास के लिए कृतसंकल्प है, लोगों का कल्याण उनके सुख एवं शांति ही हमारी सरकार का अभीष्ट है।

६८. अन्त में मैं आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे। आपके विचार–विमर्श में सदैव निःस्वार्थ सेवा, अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठा और जनता का हित ही प्रमुख होगा। आइए, हम सब मिलजुल कर सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखण्ड राज्य का निर्माण करें जो भय एवं भ्रष्टाचार से मुक्त हो।

जय हिन्द।